उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर

तुलसीराम बनाम दीनू
वाद सं. 100/2020

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	16/1/24	अवसर दिए जाते रहे हैं तथा आदेश दिनांक 12/09/23 द्वारा भी सख्त हिदायत की जाकर निर्देशित किया जा चुका है। इसके उपरान्त भी न्यायालय आदेश की प्रभावी पालना प्रस्तुत नहीं की गई है। जो न्यायालय आदेश की अवमानना की श्रेणी में आता है। अन्तिम आदेश से पूर्व न्यायालय द्वारा हिदायत करते हुए अन्तिम अवसर अपेक्षित कार्यवाही प्रभावी व समग्र रूप से प्रस्तुत करने हेतु दिया जाता है। इस उपरान्त भी अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण नहीं होने पर अवज्ञा के अन्तर्गत उचित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। नोटिस बाबत मुकामात पेश चले पर जारी होकर पत्रावली वास्ते प्रार्थी रिवाई। नोटिस बाबत मुकामात प्रतिवादी 2 दिनांक 19/2/24 को पेश हो।

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

	19/2/24	पत्रावली पेश हुई। अग्रपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में माननीय न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर में मुन्तकिल प्रार्थनापत्र विचाराधीन था। जो दिनांक 06.02.24 को माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। वादी अधिवक्ता ने बाबत मुकाम के नोटिस पेश करने हेतु समय चाहा। प्रतिवादी अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रकरण लगभग 12 वर्षों से विचाराधीन है

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

तुलसीराम बनाम / दीनू व अन्य

मुकदमा संख्या /वर्ष : 100 /2020

क्र.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	समग्र विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	19/2/24	वादी प्रकरण को लम्बित रखना चाहते हैं। अतः वादी का वाद न्यायालय आदेश की पालना के अभाव में खारिज किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि पत्रावली दिनांक 07.01.19 से लम्बित बाबत मुकाम हेतु लम्बित वादी की ओर से अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण नहीं की गई है। वादीगण को न्यायालय द्वारा अपेक्षित कार्यवाही हेतु अनेकानेक अवसर दिए जा चुके हैं। इसके उपरान्त भी 5 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वादीगण द्वारा न्यायालय आदेश की प्रभावी पालना प्रस्तुत नहीं की गई है तथा बिना बाबत मुकाम की कार्यवाही प्रकरण में आगामी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। जिससे स्पष्ट होता है कि वादी स्वयं ही प्रस्तुत वाद के प्रति सचेत / गंभीर नहीं है। अतः वाद वादी आदेश 9 नियम 5 के अन्तर्गत खारिज किया जाता है। नियमानुसार। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर नम्बर से दर्ज हो। बाबत तकमील अभिलेख दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.06 15:32:20 IST
Reason: SelfAttested